न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 95 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. बाबूराम पुत्र हीराराम 2. मांगीलाल पुत्र हीराराम 3. प्रतापराम पुत्र हीराराम 4. रूकीदेवी पत्नी हीराराम जातियान जाट निवासी गोदारों की ढाणी, कपूरडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	बनाम	1.गुणेशाराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 176 / 2020 बअनवान गुणेशाराम बनाम बाबूराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राजेश भार्गव अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.01.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1824 / 1522 रकबा 02.16 बीघा भूमि ग्राम कपूरड़ी तहसील पचपदरा में अवस्थित है, जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1523 रकबा 24.13 बीघा भूमि प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पडता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं वनाई गई है एवं तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांट को विना सूचित किये एवं विना मौके पर गये कार्यालय में वैठे–वैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर वनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काविल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये विना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय वनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांट को विना सूचित किये एवं विना मौके पर गये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर वनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने मौके पर आकर अपीलांटगण के खेत मे से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयास किया जिस पर अपीलांटगण ने मना किया तो उतरदातागण ने धमकी दी कि हमने आपके खेत में से रास्ता निकाल लिया है तथा अब मौके पर रास्ता निकालेंगे जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपने अधिवक्ता से सर्म्पक कर उक्त आदेश की दिनांक 30.07.2021 को नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का कारण सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया है फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का **उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है** जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे **अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है।** मौका फर्द दिनांक 12.01.2021 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदत्त **अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है।** अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी

की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसगें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 176/2020 बअनवान गुणेशाराम बनाम बाबूराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

25/1/2022

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर